ग्राम पंचायत मलोण, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मलोण, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधान

क्र0सं0	**प्रधान**	**अवधि**
1	श्रीमती सलोचना	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती अंजु देवी	23.1.16 से आगे

सचिव

क्र0सं0	**पंचायत सचिव**	**अवधि**
1	श्री चुनी लाल	1.4.14 से 6/2016
2	श्रीमती ललिता शर्मा	6/16 से 10/16
3	श्री जयपाल	11/16 से आगे

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः—

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	**पैरा सं0**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	7 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.34
2	8 (i)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.75
3	10	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	0.68
4	15 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.69

भाग—दो

2 ग्राम पंचायत मलोण के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, मलोण में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/15, 03/16 व 01/17 तथा व्यय हेतु माह 10/14, 04/15 व 05/16 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः—

ग्राम पंचायत मलोण के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 91 दिनांक 21.7.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थितिः—

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः—

(i) ग्राम पंचायत मलोण के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	405107.56	1067478	1472585.56	368400.50	1104185.06
2015—16	1104185.06	1191470	2295655.06	718711.00	1576944.06
2016—17	1576944.06	1906734	3483678.06	1134400	2349278.06

परिशिष्ट "क"

(ख) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत मलोण के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	176443	249741	426184	314100	112084
2015–16	112084	191654	303738	182700	121038
2016–17	121038	187125	308163	152415	155748

परिशिष्ट "क"

(ग) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत मलोण के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	1376	981849	983225	983328	–103
2015–16	–103	810669	810566	810669	–103
2016–17	–103	996418	996315	996418	–103

परिशिष्ट "क"

(घ) 13th

ग्राम पंचायत मलोण के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	57511	2057	59568	59568	0
2015–16	0	0	0	0	0
2016–17	0	0	0	0	0

परिशिष्ट "क"

Consolidated Financial Position of Gram Panchayat Malaun Dev. Block Nalagarh, Distt. Solan H.P.

Year	Opening Bal.	Income	Total	Expenditure	Closing Balance
2014-15	640437.56	2301125	2941562.56	1725396.50	1216166.06
2015-16	1216166.06	2193793	3409959.06	1712080.00	1697879.06
2016-17	1697879.06	3090277	4788156.06	2283233.00	2504923.06

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो ंसे मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹380526.31 का अन्तर दर्शाया गया जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	2349278.06	2729701.37	380423.31
2	मनरेगा	–103	0	103
			कुल योग	**380526.31**

नोटः– आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरणः–

शीर्ष	दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष			दिनांक 1.4.14 को अन्तिम शेष		
	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	JCC Bank Nalagarh	10133402200 0131/12922	187653.00	JCC Bank Nalagarh	10133402200 0131/12922	2455770.17
	JCC Bank Nalagarh	10134022000 186/240	187895.48	JCC Bank Nalagarh	10134022000 186/240	239795.48
	SBOP Lohaar Ghat	55132258099	27817.50	SBOP Lohaar Ghat	55132258099	31620.50

	Post Office Lohaar Ghat	––	1533.79	Post Office Lohaar Ghat	––	1533.79
	Cash in hand	–––	207.79	Cash in hand	––	981.43
	Total	–––	405107.56	Total	––	2729701.37
13th FC	JCC Nalagarh	13555	57511.00	––	––	––
IAY	JCC Nalagarh	––	176443.00	JCC Nalagarh		155748
मनरेगा	SBOP Lohar Ghat	65036925738	1376.00	SBOP Lohar Ghat	65036925738	0

नोटः– Post Office Lohar Ghat से सम्बन्धित बैंक पास बुक अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण दिनांक 31.3.17 को दर्शाए गए शेष ₹1533.79 के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही रोकड़ बही (सामान्य) में दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष (हस्तगत शेष) ₹227 दर्शाया गया था परन्तु तुलन पत्र (सामान्य वर्ष 2013–14) में 31.3.14 को हस्तगत शेष ₹207.79 दर्शाया गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही में कई माहों के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (2) के निर्देशानुसार रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। साथ ही रोकड़ बहियों में कई प्रविष्टियाँ का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या भी नहीं लिखी गई थी जोकि नियम 7 (1) में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इन अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 7 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कडाई से किया जाए।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	दिनांक	राशि
सामान्य	17.3.15 से 26.3.15	1096
	9.2.16 से 22.3.16	1126

7 अनुदानः–

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹1934371.41 शेष दर्शाई गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को सही शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए

तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में अभिलेख का नियमित रूप से Update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की वसूली सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(i) पंचायत राजस्व (मोबाईल टावर रिलायंस) की ₹0.75 लाख की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹7500 मोबाईल टावर शुल्क की वसूली नहीं की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

कम्पनी का नाम	टावर की सं0	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	प्राप्ति	बकाया
रिलायंस	1	––	2500	2500	0	2500
		2500	2500	5000	0	5000
		5000	2500	7500	0	7500

(ii) राजस्व की माँग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर तथा मोबाईल टावर रेंट की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर Updated मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर तथा मोबाईल टावर के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किय जायें।

9 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए।

माह	रोकड़ बही	रोकड़ बही पृ0सं0	निर्माण कार्य का शीर्ष	टिप्पणी
10/14	मनरेगा	90	RRWHT श्री कांशी राम पुत्र श्री निक्कू	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य स्वीकृति नहीं दर्शाई गई
		91	LD श्री दिला राम पुत्र श्री	–यथोपरि–

			तुलसी	
		91	LD रोशनी कोहू निचला	–यथोपरि–
		91	LD श्री नरेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल	–यथोपरि–
		90	RRWHT श्री कांशी राम पुत्र श्री निक्कू	निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
		91	RRWHT श्री गोपाल चन्द पुत्र श्री जेंडू	–यथोपरि–
		91	RRWHT श्री हरी राम पुत्र श्री निक्कू	–यथोपरि–
		91	LD श्री देवी लाल पुत्र श्री तुलसी	–यथोपरि–
		91	LD श्री बजीर श्री चेत राम	–यथोपरि–
		91	LD श्री रौशनी देवी कोहू निचला	–यथोपरि–
		91	LD श्री नरेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल	–यथोपरि–
04/15		6	LD श्री भूरा सिंह पुत्र श्री बुध राम	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य स्वीकृति नहीं दर्शाई गई
		6	LD श्री बलबीर पुत्र श्री राम शरण	–यथोपरि–
		6	RRWHT श्री भगत राम पुत्र श्री गंगा राम	–यथोपरि–
		6	RRWHT श्री भगत राम पुत्र श्री गंगा राम	निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
05/16		14	LD श्री बाबु राम पुत्र श्री नानकु	–यथोपरि–
		14	LD श्री देवी सिंह पुत्र श्री सुदामा	–यथोपरि–
		14	निर्माण खन्डोजा गुण से गोलू घाट	–यथोपरि–
4/15	सामान्य	11	निर्माण लिंक रोड हरिजन बस्ती चिला रा डोरा से लिंक रोड गुन	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य स्वीकृति तथा निर्माण कार्य का प्राक्कलन नहीं दर्शाया गया
		11	निर्माण लिंक रोड पीपलू घाट से बलानी	–यथोपरि–
		11	निर्माण लिंक रोड कोलका से बखारी	यथोपरि तथा साथ ही सम्बन्धित माप पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं की गई

(ii) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (Material Consumption Statement) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही थी। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की Consumption निकालने हेतु Consumption factors का विवरण नहीं दिया जा रहा था। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (Material Consumption Statement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(iii) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कुछ निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित कर दिये गये थे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सामान की खरीद कार्य की अवधि के दौरान ही की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(iv) ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो register of technical checks and technical sanctioned estimates का रजिस्टर form-31 पर तैयार किया जा रहा था तथा न ही estimates की छाया प्रतियाँ higher technical authority को प्रेषित की जा रही थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹0.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित

करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य	05/16	34	1280	स्टेशनरी
मनरेगा	10/14	90	13500	पत्थर तुडान
			18750	यथोपरि
			1500	यथोपरि
			8003	रेत तथा बजरी ढुलान
		91	8079	यथोपरि
			1560 (120x3)	फोटोस
	04/15	6	16150	पत्थर
		कुल योग	**68822**	

11 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
	04/15	6	9072	मस्टर रोल संख्या 2
			14742	मस्टर रोल संख्या 10
			7938	मस्टर रोल संख्या 9
			5670	मस्टर रोल संख्या 11
			15390	मस्टर रोल संख्या 36
	05/16	14	14960	मस्टर रोल संख्या 7

	17680	मस्टर रोल संख्या 8
	14450	मस्टर रोल संख्या 12
	13090	मस्टर रोल संख्या 14
	27880	मस्टर रोल संख्या 64
	30090	मस्टर रोल संख्या 65
15	15130	मस्टर रोल संख्या 66
	38930	मस्टर रोल संख्या 67
	14620	मस्टर रोल संख्या 168
	14280	मस्टर रोल संख्या 169
	22100	मस्टर रोल संख्या 170
	16660	मस्टर रोल संख्या 174
	32130	मस्टर रोल संख्या 175

12 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹1.12लाख के स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को IAY/AAY के अन्तर्गत ₹112500 जारी की गई थी। परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाये गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। ग्राम पंचायत के अनुसार सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शा दिया जाएगा।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**
IAY	10/14	52	37500
			37500
			37500
		कुल योग	**112500**

13 ₹0.39 लाख की खेलकूद सामग्री के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत को खेलकूद अनुदान के अन्तर्गत ₹39000 प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत ने इस राशि से माह 10/14 (रोकड़ बही स्वस्त्रोत तथा अनुदान, पृष्ठ संख्या 158) में City Sales, Shimla से ₹39000 की खेलकूद की सामग्री क्रय की थी। पंचायत के अनुसार यह सामग्री दर संविदा (Rate Contract) के आधार पर की थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रक भण्डार क्रय हिमाचल प्रदेश द्वारा City Sales

Shimla के पक्ष में जारी दर संविदा के आधार पर खेलकूद सामग्री के विक्रय के लिए अधिकृत किये जाने से सम्बन्धित पत्र नहीं दर्शाया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित उपरोक्त दस्तावेज आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए।

14 जलपान करवाए जाने से सम्बन्धित अनियमितता बारेः—

व्यय की पड़ताल के दौरान माह 05/16 में ₹2220 (रोकड़ बही सामान्य पृष्ठ संख्या 34) का व्यय जलपान पर किया गया था। परन्तु वाउचर में इस बारे कोई भी विवरण दर्ज नहीं था कि यह जलपान किन्हें तथा किस उद्देश्य हेतु करवाया गया था। इस कारण इन भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 स्टोर/स्टॉकः—

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। जिस कारण खरीदे गये सामान की खपत की जाँच नहीं की जा सकी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं। ग्राम पंचायत के अनुसार स्टॉक सामग्री रजिस्टर Update करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	05/16	34	1280	स्टेशनरी
	10/14	90	13500	पत्थर
			18750	–यथोपरि–
			1500	–यथोपरि–
			8003	रेत तथा बजरी ढुलान
		91	8079	–यथोपरि–
			1560 (120x13)	फोटोस
	4/15	6	16150	पत्थर
		कुल योग	**68822**	

(iii) पंचायत भण्डार से खेलकूद की वस्तुएं चौकीदार के सुपुर्द करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा माह 10/14 (रोकड़ बही सामान्य पृष्ठ संख्या 158) में खेलकूद से सम्बन्धित ₹39000 की विभिन्न वस्तुओं का क्रय किया गया था परन्तु स्टॉक रजिस्टर में खेलकूद के सामान की प्रविष्टियाँ न तो मदवार की गई थी न ही इन प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। रजिस्टर में खेलकूद की वस्तुएं चौकीदार के सुपुर्द कर दी गई दर्शाई गई थी। पंचायत सचिव के अनुसार यह वस्तुएं पंचायत मे उपलब्ध नहीं थी जोकि अनुचित है क्योंकि यह वस्तुएं पंचायत की सम्पत्ति है तथा चौकीदार को केवल प्रयोग हेतु ही आबंटित की जा सकती है परन्तु स्टॉक से खरीद नहीं की जा सकती। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन वस्तुओं का पंचायत भण्डार में वापिस जमा करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए।

16 विविधः–

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं किया जा रहा था। रसीद बुकों का प्रयोग भी क्रमानुसार नहीं किया जा रहा था। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके

शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रसीद बुक रजिस्टर update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में स्वस्त्रोतों से प्राप्त आय को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कई भुगतान सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के बिना ही कर दिए गए थे जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
IAY	10/14	52	37500	किश्त का भुगतान
			37500	–यथोपरि–
			37500	–यथोपरि–
सामान्य	05/16	33	8000	सिलाई अध्यापिका वेतन
		34	10767	पशु सहायक वेतन

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल (Muster Rolls) मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । मस्टर रोल (Muster Rolls) का Part III (सामान्य) जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य की पेमाईश/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है यह नहीं किया जा रहा था। मनरेगा के अन्तर्गत जारी मस्टर रोल (Muster Rolls) से सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही मस्टर रोल (Muster Rolls) रजिस्टर (सामान्य) में मस्टर रोल (Muster Rolls) को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था तथा सम्बन्धित स्तम्भों (पृष्ठ संख्या 15) में सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा जा रहा था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मनरेगा से सम्बन्धित मस्टर रोल (Muster Rolls) रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए। भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। साथ ही बजट निर्धारित फार्म 11 पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), miscellaneous demand and collection register (फार्म–10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म–9) Register of bills received (फार्म–13), Stock register of non consumable articles (फार्म–25), Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने

सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः— अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्षः— खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 37/2017—खण्ड—1—292—295 दिनाँक 11.01.2018शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मलोण विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881